# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :— कैलाश चन्द्र शर्मा** आर.ए.एस.

**अनवान :— राजस्व वाद संख्या 152/2015**

1. तेजासिंह पुत्र होशियारसिंह जाति जटसिख निवासी 9 वाई सैकेण्ड पोस्ट आफिस मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — **वादी**

—:: बनाम ::—

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

— — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू.—राजस्व अधिनियम, बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री जीतपालसिंह अधिवक्ता — वादी
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी

## — :: निर्णय ::—

**दिनांक :— 13.10.2016**

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू.— राजस्व अधिनियम, बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :—

वादी के नाम से चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 21/123 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1.252 हैक्टर नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जमाबन्दी में वादी का नाम गुरतेजसिंह पुत्र होशियारसिंह जाति जटसिख दर्ज है, इस भूमि पर वादी मौके पर काबिज है तथा फसल काश्त की हुई है।

वादी को घर व गांव में गुरतेजसिंह व तेजासिंह दोनों नामों से भी पुकारते है जिसके कारण जमाबन्दी में गुरतेजसिंह दर्ज हो गया है, जबकि अन्य दस्तावेज जिनमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड परिवार राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र में वादी का नाम तेजासिंह दर्ज है।

तेजासिंह व गुरतेजसिंह दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। बल्कि एक ही व्यक्ति (वादी) के दो नाम है। चूँकि वादी के समस्त दस्तावेज तेजासिंह के नाम दर्ज है। परन्तु जमाबन्दी में गुरतेजसिंह दर्ज होनें से वादी को काफी परेशानी हो रही है। इस भी पर लोन लेनें में भी रूकावट होती है। तथा अन्य सरकारी सहायता लेने में भी दिक्कत होती है। इसलिये वादी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त/संशोधित करवाना चाहता है। तथा जमाबन्दी में अपना नाम गुरतेजसिंह के स्थान पर तेजासिंह करवाना चाहता है। वादी माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैंड से आया है। इसलिये वादी उक्त संशोधन करवानें का अधिकारी है।

वादी के गांव के सरपंच नें भी अपनें लैटर पैड पर प्रमाणित किया है कि तेजासिंह उर्फ गुरतेजसिंह पुत्र होशियारसिंह जाति जटसिख गांव 9 वाई सैकेण्ड ग्राम पंचायत मोहनपुरा का निवासी है। इस व्यक्ति को दोनों ही नामों से जाना जाता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 21/123 के मुरब्बा नम्बर 26 में1.252 हैक्टर नहरी रकबा जो जमाबन्दी में गुरतेजसिंह के नाम से दर्ज है, की प्रविष्टियों में संशोधित कर उसके स्थान पर तेजासिंह दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 08.02.2016 को जबाब दावा प्रस्तुत हुआ, जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादी का नाम मुताबिक रिकार्ड सही चला आ रहा है। जो नियमानुसार है। किसी भी दस्तावेजो में दोनों नामों का अंकन नहीं है। अतः वाद वादी खारिज योग्य है।बाद सुनवाई राज्य हितो को ध्यान में रखते हुए निस्तारित किया जाना आवेदित है।

A/2

दिनांक 26.06.2016 को वादी द्वारा शपथ पत्र तथा गवाह के रूप में बलकरणसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति जटसिख साकिन 9 वाई सैकिण्ड पोस्ट आफिस मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रस्तुत किये गये। वादीगण का व्यक्तिगत पहचान प्रमाणपत्र, आदि के साक्ष्य का मूल के साथ में मिलान किया गया।

वाद में किसी प्रकार का कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई दिनांक 27.09.2016 को वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में प्रस्तुत वादपत्र को दोहराते हुऐ तर्क दिया वादी तेजासिंह व गुरतेजसिंह दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। बल्कि एक ही व्यक्ति (वादी) के दो नाम है। चूँकि वादी के समस्त दस्तावेज तेजासिंह के नाम दर्ज है। परन्तु जमाबन्दी में गुरतेजसिंह दर्ज होनें से वादी को काफी परेशानी हो रही है। इस भी पर लोन लेनें में भी रूकावट होती है। तथा अन्य सरकारी सहायता लेने में भी दिक्कत होती है। गांव के सरपंच नें भी अपनें लैटर पैड पर प्रमाणित किया है। इसलिये वादी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त / संशोधित करवाना चाहता है। तथा जमाबन्दी में अपना नाम गुरतेजसिंह के स्थान पर तेजासिंह करवाना चाहता है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर वादी के नाम की दुरूस्ती में गुरतेजसिंह के स्थान पर तेजासिंह को खातेदार घोषित किया जावे।

हमने विद्धान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. सपठित धारा 136, भू.–राजस्व अधिनियम, स्वीकार किया जाकर चक 9 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 21 / 123 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1.252 हैक्टर नहरी रकबा में वादी को खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करते हुए गुरतेजसिंह पुत्र होशियारसिंह जाति जटसिख का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर तेजासिंह पुत्र होशियारसिंह जाति जटसिख को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर को उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किये जानें हेतु लिखा जावे।

उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। यदि वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर किसी बैक आदि से ऋण ले रखा हो तो समस्त भार मुक्त होनें पर राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना– अपना वहन करेंगें।

यह आदेश आज दिनांक 13.10.2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कैलाशचन्द्र शर्मा )
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर